रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223854
CG-DL-E-22122020-223854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942
No. 651] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PUHSA 1, 1942

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 783(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 15 के उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के शर्तें और निबंधन और शर्तें) नियम, 1994 का जहां तक उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कतिपय पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन और नियम) नियम, 2020 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गिकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और इससे संबन्धित अन्य बातें वें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारंभिक गठन - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत वह पदधारी, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से, अनुसूची में उल्लिखित सदृश्य पदों के नियमों के अधीन नियुक्त माना जाएगा और उक्त पद पर उनके द्वारा दी गयी सेवाओं को परिवीक्षा, प्रोन्नति हेतु अर्हक सेवाएँ, पुष्टिकरण और पेंशन के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाएगा।

6. निरर्हता - वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया हो या –विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**पे-मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्रधान निजी सचिव।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 11 (रु. 67700-208700/-)	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नतों करने वाले व्यक्तियों के लिए 02 वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-) में निजी सचिव जिसने इस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी,- (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (रु. 56100-177500/-) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (3) अवर सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (4) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य।	लागू नहीं होता।

	(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 8 (रु. 47600-151100/-) या समतुल्य में छः वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-) या समतुल्य में सात वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. विधि अधिकारी।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 11 (रु. 67700-208700/-)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	धारित किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (रु. 56100-177500/-) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव का होना: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री और विधि मामलों में छह वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री और विधि मामलों में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. प्रशासनिक अधिकारी।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 10 (रु. 56100-177500/-)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नतों करने वाले व्यक्तियों के लिए 02 वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** अनुभाग अधिकारी के रूप में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-) में तीन साल की नियमित सेवा के साथ और प्रशासनिक प्रतिष्ठान और लेखा के क्षेत्र में 12 सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गयी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो से, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (i) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; (ii) निदेशक अथवा उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (iii) अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (iv) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य।	लागू नहीं होता।

	प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; तथा (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. अनुसंधान अधिकारी।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 10 (रु. 56100-177500/-)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नतों के लिए 02 वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स स्तर - 6 में (रु. 35400-	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।

	112400/-) के वेतनमान में ऐसे अनुसंधान सहायक जिसने इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गयी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो से, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (रु. 47600-151100/-) या समतुल्य के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर इस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (रु. 35400-112400/-) या समतुल्य के वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या विधि या सांख्यिकी	निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (4) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य।	

	में स्नातक की डिग्री; और (ii) डेटा विश्लेषण अथवा अनुसंधान कार्य में आठ वर्ष का अनुभव; और (iii) हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. अनुभाग अधिकारी।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 में (रु. 35400-112400/-) के वेतनमान में ऐसे सहायक जिसने इस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो से, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य;	लागू नहीं होता।

	व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में स्तर – 6 (रु. 35400-112400/-) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) स्थापना या प्रशासन के मामलों में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(4) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. निजी सचिव।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 7 (रु. 44900-142400/-)	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स स्तर - 6 में (रु. 35400-112400/-) के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक जिसने आशुलिपिक ग्रेड I में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो से, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरी कर लिया हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी ,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में ऐसे आशुलिपिक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 में (रु. 35400-112400/-) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक अथवा उप सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (3) अवर सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग – सदस्य; (4) अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य।	लागू नहीं होता।

	नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना सहायक।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर - 6 (रु. 35400-112400/-)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी ,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (रु. 29200-92300/-) या समतुल्य के वेतनमान में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर इस श्रेणी छः वर्ष की नियमित सेवा की है; तथा (ख) निम्नलिखित योग्यताओं का होना: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का वृतिक अनुभव। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[मिसिल सं.1-1/2015-एनसीएम]

निगार फातिमा हुसैन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक टिप्पण: ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। तथापि, नियम 5 विद्यमान पदाधिकारी की सेवाओं को नियमित करने की दृष्टि से भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू होगा और यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को भूतलक्षी प्रभाव देने से, किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2020

G.S.R. 783(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 15 of National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) and in supersession of the National Commission for Minorities (Terms and Conditions of Service of the Officers and Other Employees) Rules, 1994, in so far as they relate to the posts of Administrative Officer, Research Officer, Section Officer, Private Secretary and Librarian, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in National Commission for Minorities, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Commission for Minorities (Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Initial Constitution. - The incumbent holding the post of Principal Private Secretary in the National Commission for Minorities on regular basis, on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules to the corresponding posts mentioned in the Schedule and the services rendered by him in the said post shall be taken into account for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Disqualification. - No person, –

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Principal Private Secretary.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 11 (Rs. 67700-208700/-)	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation.	**Promotion:** Private Secretary in the National Commission for Minorities in Level - 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix with seven years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or the State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised Research Institutions or Semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years regular service in the grade in Level - 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent rendered	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; (2) Director or Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; (3) Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; (4) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member.	Not applicable.

	after appointment in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in Level - 8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; or (iv) with seven years regular service in the Level - 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Legal Officer.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 11 (Rs. 67700-208700/-)	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation.	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or Semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Level - 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Law of a recognized University or institution and six years experience in legal matters; or (ii) Master’s degree in Law of a recognised University or institution and five years experience in legal matters. **Note 1:** The period of deputation (including short-	Not applicable.	Not applicable.

	term contract) including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Administrative Officer.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 10 (Rs. 56100-177500/-)	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Section Officer with three years regular service in Level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) and successfully completed training of 12 weeks in the field of Administrative Establishments and Accounts. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or Semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in the Level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognized University or institute; and (ii) three years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office/Public Sector undertaking/autonomous body/Statutory body.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; (2) Director/Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; (3) Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; (4) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs – Member.	Not applicable.

	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Research Officer.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 10 (Rs. 56100-177500/-)	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Research Assistants with eight years regular service in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or Semi- Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; (2) Director/Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; (3) Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; (4) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member.	Not applicable.

	in Level - 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years regular service in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Sociology or Social Work or Law or Statistics from a recognised University or institute; and (ii) eight years experience in data analysis or research work; and (iii) proficiency in Hindi and English. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Section Officer.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 7 (Rs. 44900-142400/-)	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Assistant with five years regular service in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; (2) Director/Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; (3) Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; (4) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs – Member.	Not applicable.

	requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or Semi- Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) three years experience in establishment or administration matters. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Private Secretary.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 7 (Rs. 44900-142400/-)	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Stenographers Grade - I with five years regular service in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations,- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in Stenographers Grade in Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Joint Secretary, National Commission for Minorities - Chairperson; (2) Director/Deputy Secretary, National Commission for Minorities - Member; (3) Under Secretary, National Commission for Minorities - Member; (4) Under Secretary, Ministry of Minority Affairs - Member.	Not applicable.

	the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.Librarian and Information Assistant.	1* (2020) *Subject to variation dependent on the workload.	Not applicable.	Level - 6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation.	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or semi-Government or Autonomous bodies or statutory organisations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) six years regular service in Level - 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following qualifications: (i) Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute ; and (ii) two years' professional experience in a Library under Central Government or State Governments or autonomous bodies or statutory in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

[F.No.1-1/2015-NCM]

NIGAR FATIMA HUSAIN, Jt. Secy.

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. However, rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the existing incumbent and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, no one is likely to be adversely affected.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.22 17:49:38 +05'30'